छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 170/2006</u>

श्री नन्दलाल गुप्ता, ... आवेदक
एल्डरमेन,
नगर पालिका परिषद्,
बड़े बचेली,
जिला–बस्तर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... अनावेदक
कार्यालय नगर पालिका परिषद्,
बड़े बचेली,
जिला–बस्तर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::
(13 सितम्बर 2006)

आवेदक श्री नन्दलाल गुप्ता, एल्डरमेन, नगर पालिका परिषद्, बड़े बचेली, जिला–बस्तर, दंतेवाड़ा के द्वारा आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत की गई कि आवेदक ने दिनांक 13–1–2006 को कुछ बिन्दुओं पर जानकारी चाही थी। किन्तु निर्धारित अवधि के पश्चात् भी जानकारी नहीं दी गई। आवेदक ने स्वयं को गरीबी रेखा के नीचे का कार्डधारी होने से आवेदन शुल्क लिये जाने से मुक्त बतलाया। जन सूचना अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, बड़े बचेली निर्धारित अवधि में आवेदक को जानकारी नहीं दी, जिसके विरूद्ध आवेदक ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी के द्वारा भी कोई कार्यवाही न होने से उसने यह शिकायत प्रस्तुत की।

आयोग के द्वारा अनावेदक मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नोटिस जारी किया गया। नगर पालिका की ओर से श्री विष्णु मंडावी, प्लम्बर (प्रभारी नगर पालिका अधिकारी) उपस्थित हुए, उन्हें सुना गया। आवेदक के द्वारा बतलाया गया कि वह गरीबी रेखा के नीचे राशन कार्डधारी है, उसने गरीबी रेखा के नीचे सर्वेक्षण की सूची मांगी थी, जिसे नहीं दी गई। साथ ही उसके द्वारा कुछ कार्यों के संबंध में भी जानकारी चाही गई थी। मुख्य नगर पालिका परिषद् की ओर से बतलाया गया कि आवेदक का नाम पूर्व में गरीबी रेखा के नीचे की सूची में दर्ज था, किन्तु बाद में जाँच के पश्चात् उसका नाम काटा गया। यह भी बतलाया गया कि आवेदक के द्वारा जो जानकारी मांगी गई थी, उसके लिए उसे 50 पृष्ठों की जानकारी निःशुल्क दिये जाने का अपीलीय अधिकारी ने निर्णय लिया था तथा आवेदक से प्राथमिकता भी बतलाने

हेतु कहा गया था। किन्तु आवेदक ने सूचना प्रदान नहीं की। इसके पूर्व आवेदक से 3,246/– रूपये की राशि जानकारी हेतु जमा करने का नोटिस दिनांक 8–2–2006 को जारी किया गया, किन्तु आवेदक ने राशि जमा नहीं कराई। आवेदक को यह भी सूचित किया गया था कि उसका नाम गरीबी रेखा की सूची से निरस्त हो चुका है।

प्रकरण से स्पष्ट होता है कि आवेदक के द्वारा वर्ष 2004 से 2006 तक विभागों के द्वारा की गई खरीदी–बिक्री एवं निर्माण कार्य, वृक्षारोपण, बोरिंग खुदाई, गुमटी, कचरा डब्बा बोर्ड, रोड निर्माण, नाली निर्माण, विद्युत कनेक्शन, स्टेशनरी, पानी की व्यवस्था आदि के संबंध में समस्त खरीदी एवं बिक्री की जानकारी चाही। आवेदक का आवेदन पत्र अस्पष्ट है, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है कि वह क्या जानकारी चाहता है। आवेदक ने सामान्य रूप से सभी कार्यों के खरीदी–बिक्री की जानकारी चाही है। कौन–से कार्य का सामान खरीदी का और कौन–सा सामान बेचा गया इसकी स्पष्ट रूप से आवेदक को आवेदन पत्र देना था। नगर पालिका के द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में देना नहीं बतलाया है, शासन के द्वारा आवेदन हेतु सूचना का अधिकार अंतर्गत कोई प्रपत्र निर्धारित नहीं किया गया है। अतः केवल इस आधार पर जानकारी देने से इंकार करना उचित नहीं है। प्रकरण से यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदक को भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा 50 पृष्ठों की निःशुल्क जानकारी देने हेतु सहमति की सूचना भेजी गई थी तथा आवेदक से प्राथमिकता में कौन–सी जानकारी चाही गई यह स्पष्ट करने को कहा गया। आवेदक ने इस संबंध में नगर पालिका को प्राथमिकता सूचित नहीं की।

प्रकरण में आवेदक एवं जन सूचना अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् दोनों ने नियमानुसार कार्यवाही नहीं की है। अतः यह सिद्ध नहीं होता है कि जन सूचना अधिकारी ने जानबूझकर अथवा द्वेषवश जानकारी नहीं दी। आवेदक एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा सूचित किये जाने पर नियत दिनांक को आवेदक को संबंधित रिकार्ड का निःशुल्क निरीक्षण कराया जावे व उसमें से मुख्य नगर पालिका अधिकारी के साथ बैठकर जो भी जानकारी उसे चाहिए उसे क्रमबद्ध लिखकर स्पष्ट आवेदन प्रस्तुत करे तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी आवेदक को निर्धारित अवधि में नियमानुसार शुल्क जमा कराकर जानकारी प्रदान करे।

प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि नगर पालिका परिषद् में कोई नियमित मुख्य नगर पालिका अधिकारी पदस्थ नहीं है। आयोग के समक्ष प्लम्बर, प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में उपस्थित हुआ। नगर पालिका सक्षम रुप से सूचना का अधिकार का क्रियान्वयन करा सके, इसके लिए आवश्यक है कि वरिष्ठ स्तर के किसी कर्मचारी को पदस्थ कर उसे प्रभारी दिलाया जावे। आदेश की प्रति सचिव, छ.ग.शासन, नगरीय कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर को भी भेजी जावे।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त